क	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
	2	3

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर०एम०ए० वाद सं० 18/2018–19

अजीत मंडल वगै० –बनाम– गीता देवी

–: आदेश :–

.6.2019 यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के राजस्व वाद संख्या 10/2016–17 (गीता देवी –बनाम– अजीत मंडल वगै०) में दिनांक 13.08.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

यह मामला मौजा उधवा के जमाबंदी नं० 220 दाग नं० 681 एवं 682 रकवा 00–00–18 धुर (अठारह धुर) जमीन पर चल रहे विवाद से संबंधित है। उभय पक्षों को सुना।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि विवादित जमीन मौजा उधवा की है, जो क्रय विक्रय किया जाता है। जो जमीन उत्तरवादी द्वारा क्रय किया है, उस जमीन पर अपीलार्थी का मकान बना हुआ है। इस जमीन का अपीलार्थी के पिता धिरेन मंडल एवं विरेन मंडल के बीच बँटवारा नहीं हुआ है। विरेन मंडल के वारिसान पिंकी देवी, पति–विनय कुमार मंडल ने गीता देवी, पति–नरेन मंडल के पास बिक्री कर दिया है। जमीन संयुक्त में है। 00–00–18 धुर जमीन उत्तरवादी के पास किस आधार पर बिक्री किया है। जबकि जमीन का बँटवारा अपने भाई वहन में नहीं हुआ है। जिस जमीन को बिक्री किया है उस पर मकान बना हुआ है।

उनका यह भी कथन है कि स्व० कवाली मंडल की अपनी खानदानी जमीन मौजा उधवा में पड़ता है, जिसका जमाबंदी नं० 220 दाग नं० 681 एवं 682 कुल रकवा 04–08–00 धुर जमीन में से कवाली मंडल को 01–09–16 धुर जमीन हिस्सा में मिला है, जिसमें से कवाली मंडल को दो संतान है। 1. जनमजय मंडल एवं 2. दुखनी मंडलाइन को 00–14–18 धुर जमीन पर जनमजय मंडल की तीनों संतान 1. सुचीन मंडल, 2. गीता देवी एवं 3. सुमोती बेवा एवं उसके भाई बहन मिलकर अपीलार्थी की हिस्से की जमीन पर कब्जा किये हुए है, साथ ही उक्त जमीन को गैर कानूनी तरीके से विरेन मंडल की पुत्री पिंकी देवी से 00–00–18 धुर जमीन खरीद कर अपीलार्थी को रहने की जमीन से बेदखल करना चाहते है। तथा गलत तरीका से अपना कर चुप–चाप अपीलार्थी को धोखे में रख कर बिना सूचना दिये अपने नाम से नमान्तरण भी करवा लिया है, जो बिलकुल गलत है।

अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा सही तथ्य एवं सभी पक्षों को बिना सुने विपक्षी गीता देवी के पक्ष में आदेश पारित कर दिया एवं बिना बँटवारा के जमीन का केवाला बना दिया गया तथा बिना 16 आना रैयत को नोटिस दिये नामान्तरण किया गया है।

अतः अनुरोध है कि अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के द्वारा दिनांक 13.08.2018 को पारित आदेश पर रोक लगाते हुए पिंकी देवी द्वारा बिक्री की गई 00–00–18 धुर जमीन गैर कानूनी घोषित किया जाय एवं अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील को स्वीकृत किया जाय।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कथन है कि अपीलार्थी जान–बूझ कर उत्तरवादी को तंग कर रहा है। यह स्पष्ट है कि मौजा उधवा का जमीन सेल डिड द्वारा बिक्री होता है। उत्तरवादी द्वारा 00–00–18 धुर जमीन निबंधित केवाला संख्या 5849 दिनांक 30.10.2013 के द्वारा क्रय किया गया है एवं अंचल अधिकारी, उधवा के नामान्तरण वाद संख्या 1171/2013–14 के द्वारा उत्तरवादी अपने नाम से नामान्तरण करा चुका है। उक्त जमीन पर अपीलार्थी ने जलावन की लकड़ी वगैरह रख कर उत्तरवादी को जमीन दखल नहीं देने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के समक्ष वाद दायर किया, जो नियमानुसार जाँच कर

Scanned with CamScanner

आदेश की कमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

उत्तरवादी के पक्ष में आदेश पारित किया गया है।

नामान्तरण में आरोप लगाया गया है कि 16 आना रैयत को नोटिस नहीं किया गया है यह गलत है। पूरी प्रक्रिया के पश्चात नामान्तरण किया जाता है। जबकि ग्राम में ग्रामीणों के बीच एवं ग्राम मुखिया ने विचार कर निर्णय उत्तरवादी के पक्ष में दिया। फिर भी अपीलार्थी मानने को तैयार नहीं है। चुँकि जमीन कर्त्ता ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला है। ग्राम में आपसी मौखिक बँटवारा कर अपना–अपना दखल भोग करने लगते है। चौहद्दी कागजी लिखावट पर होता है। समाज के ग्रामीण निर्णय गलत नहीं करते है। उनका यह भी कहना है कि अपीलार्थी को यह गलत केवाला बना है तो सक्षम न्यायालय में दावा करना चाहिए था एवं नामान्तरण के विरूद्ध अपील करना चाहिए था। उत्तरवादी अपना दखल के लिए दायर किया। तब अपीलार्थी उत्तरवादी को परेशान करने हेतु अपील दायर किया है।

अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर नियमानुसार दोनों पक्षों को सुन कर आदेश पारित किया है। अनुरोध है कि निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाय।

निर्णयः– उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। साथ ही अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि जमीन निबंधन केवाला द्वारा क्रय किया हुआ है, जो निम्न न्यायालय द्वारा आधार मानते हुए आदेश पारित किया गया है। निबंधन रद्ध करने की शक्ति सक्षम न्यायालय को संहित है। ऐसे स्थिति में निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक 13.08.2018 को बरकरार रखते हुए अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। इस निदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश उभय पक्षों को दिखावें।

लेखापित एवं संशोधित।

29/06/19

उपायुक्त,
साहेबगंज।

29/06/19

उपायुक्त,
साहेबगंज।

Scanned with CamScanner